

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। कि वाग वहार की नीलामी हेतु दिनांक 7-6-19/20-6-19 नियत की गई थी, लेकिन कोई ठेकेदार नीलामी बोलने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। पुनः दिनांक 29-6-19 नियत की गई, लेकिन बोली सरकारी बोली से कम आई तथा दिनांक 15-7-19 को शासकीय कार्य मीटिंग आदि में व्यस्त रहने के कारण नीलामी कार्यवाही नहीं हो सकी। दिनांक 23-7-2019 / 7'9'2019 को भी वाग वहार के लिये कोई बोलीदार उपस्थित नहीं हुआ। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक 1-7-19 से दिनांक 31-3-2020 तक) हेतु कलेक्ट्रेट परिसर की वाग वहार का सार्वजनिक नीलाम अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख दिनांक 21-9-2019 दिवस शानिवार दोपहर 3.00 बजे को किया जायेगा। नीलाम की शर्तें निम्नवत हैं।

बोली बोलने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित प्रमाण पत्र बोली बोलने से पूर्व दिनांक 21-9-19 को पूर्वाह्न 12-00 बजे तक जमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। बोलीदाता को निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा नीलाम की शर्तों को पूर्ण करना होगा।

1- जिलाधिकारी रामपुर द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र/हैसियत प्रमाण पत्र (2वर्ष के लिये) जिसकी अवधि नीलाम तिथि को वैध हो, दाखिल करना होगा।

3- बोलीदाता को वाग वहार की नीलामी में सम्मिलित होने हेतु रुपये 5,000/- की धनराशि जमानत के रूप में एफ0डी0आर0/बैंकर्स बैंक अथवा बैंक ड्राफ्ट/नकद केश के रूप में प्रभारी अधिकारी नजारात के पक्ष में जमा करनी होगी।

4- बोलीदाता को नो ड्यूज प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5- नीलाम स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी रामपुर का होगा। नीलाम की धनराशि का 2.44 प्रतिशत आयकर एवं 4 प्रतिशत व्यापार कर एवं 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क नीलाम स्वीकृति पर नीलाम राशि के अतिरिक्त तत्काल जमा करना होगा।

6- बोली छुटने के पश्चात सर्वाधिक बोलीदाता को 1/4 धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि नीलाम स्वीकृति के उपरान्त जमा करना अनिवार्य होगा।

7- नीलाम की शेष धनराशि नियत अवधि में एक मुश्त जमा न करने पर ठेकेदार द्वारा जमा की गई धनराशि व 1/4 धनराशि जब्त करते हुये ठेका निरस्त करते हुये पुनः नीलाम कर दिया जायेगा और ठेकेदार से बकाया की वसूली भूराजस्व मालगुजारी के रूप में वसूल की जायेगी।

8- नीलाम स्वीकृति के उपरान्त अन्य व्यक्ति/संस्था को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है।

9- अन्य शर्तें नीलामी के समय कार्यालय से ज्ञात की जा सकती हैं।

दिनांक :- 7-9-2019 2019

(सर्वेश कुमार गुप्ता)

नगर मजिस्ट्रेट/प्र0अ0 नजारात
कृते जिलाधिकारी, रामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, रामपुर

दिनांक अगस्त 7-9-2019

संख्या 4044 / नाजिर सदर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि इस नीलामी सूचना का हिन्दी/उर्दू के एक-एक दैनिक समाचार पत्रों में एक दिवस कराकर समाचार पत्र की एक-एक प्रति इस कार्यालय को नियत तिथि से पूर्व उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जिला सूचना अधिकारी रामपुर को दो दैनिक समाचार पत्र में सशुल्क प्रकाशन हेतु।

3- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रामपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नीलाम का प्रचार प्रसार किये जाने हेतु जनपद की वेबसाइट पर डलवाना सुनिश्चित करें।

4- समस्त तहसीलदार जनपद रामपुर को तहसील नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।

5- अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद रामपुर को नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।

6- जिला पंचायत/ जिला विकास अधिकारी रामपुर को नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।

7- केन्द्रीय नाजिर मा0 जिला जजी रामपुर को नोटिस बोर्ड पर चरपा कराने हेतु।

8- नाजिर सदर कलेक्ट्रेट रामपुर को नोटिस बोर्ड पर चरपा करने हेतु।

9- ओ0एस0डी0 शिविर कार्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

(सर्वेश कुमार गुप्ता)

नगर मजिस्ट्रेट/प्र0अ0 नजारात
कृते जिलाधिकारी, रामपुर।